

राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.11(14)वित्त/आब/2020

जयपुर, दिनांक: 15/04/2025

आदेश

राजस्थान आबकारी सेवा के निम्नांकित अधिकारियों को वर्ष 2025-26 में अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किया जाता है:-


क्र. सं.	नाम सर्वश्री	पदनाम	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	श्री देवेन्द्र कुमार दशोरा पुत्र स्व. श्री श्यामलाल शर्मा	उपायुक्त/जिला आबकारी अधिकारी(वरिष्ठ वेतनमान)	14.09.1965	30.09.2025
2.	श्री अमरजीत सिंह पुत्र श्री मंगलचन्द शर्मा	जिला आबकारी अधिकारी (सामान्य वेतनमान)	13.09.1965	30.09.2025
3.	श्री घनश्याम शर्मा पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द शर्मा	जिला आबकारी अधिकारी (सामान्य वेतनमान)	25.07.1965	31.07.2025
4.	श्री सरदार सिंह पुत्र श्री रामकुमार सिंह	सहायक आबकारी अधिकारी (सामान्य शाखा)	01.07.1965	30.06.2025
5.	श्री अमीलाल पुत्र श्री श्योनारायण धायल	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल	05.08.1965	31.08.2025
6.	श्री घीसा राम चौधरी पुत्र श्री हरजीराम चौधरी	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल	09.07.1965	31.07.2025
7.	श्री छोटा राम भादु पुत्र श्री उरजा राम भादु	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल	09.07.1965	31.07.2025
8.	श्री सुमेर सिंह कटेवा पुत्र श्री पीरुराम	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल	02.08.1965	31.08.2025

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित क्रम संख्या 1 एवं 3-9 पर अंकित अधिकारियों के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

क्रम संख्या 02 पर अंकित श्री अमरजीत सिंह, जिला आबकारी अधिकारी(सामान्य वेतनमान) के विरुद्ध एफ.आई.आर. संख्या 47/17 विचाराधीन है।

आज्ञा से,


संयुक्त शासन सचिव

कमरा नं. 4120 व 5125 मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर-302005
Room No.4120 & 5125, Main Building, Secretariat, Jaipur-302005
Phone: 0141-5153222 Ext. 24470 & 24458, Fax No. 0141-2227239 website:
www.finance.rajasthan.gov.in.email: dsfexcise@rajasthan.gov.in

प्रतिलिपि:

1. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर को उनके पत्र क्रमांक प01(ओ)(02) संस्था/आब/2023/EF-02084/259 दिनांक 07.03.2025 एवं प01()संस्था/आब/नि.दल/2022/EF-02931/41 दिनांक 06.03.2025 के संदर्भ में भेजकर लेख है कि उक्त अधिकारियों की सेवानिवृत्ति तिथि तक इनके विरुद्ध कोई भी जांच लम्बित/विचाराधीन नहीं होना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर।
4. तकनीकी निदेशक(कम्प्यूटर सेल), वित्त विभाग।
5. संबंधित अधिकारी द्वारा आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
6. निजी पत्रावली संबंधित अधिकारीगण।
7. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव

कमरा नं. 4120 व 5125 मुख्य भवन 3 शासन सचिवालय, जयपुर-302005

Room No.4120 & 5125, Main Building, Secretariat, Jaipur-302005

Phone: 0141-5153222 Ext. 24470 & 24458, Fax No. 0141-2227239 website:

www.finance.rajasthan.gov.in.email: dsfexcise@rajasthan.gov.in